न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–29 / 2015–16

सावित्री देवी वगैरह बनाम लाल जी राय वगैरह

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
19/05/18	**आदेश** यह पुनरीक्षण वाद, दाखिल खारिज अपील वाद सं0 38 / 2013–14 में दिनांक 02.05.2015 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है। इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है। **प्रथम पक्ष** 1. श्रीमती सावित्री देवी, पति श्री दुर्गा प्रसाद, 2. श्रीमती वीणा देवी, पति श्री जुगी लाल प्रसाद, 3. श्री कमल किशोर प्रसाद, पिता स्व0 राम प्रसाद लाल, सभी का पता चन्दन मार्केट, महनार बाजार, थाना–महनार, जिला–वैशाली, वर्त्तमान पता वर्णवाल स्टोर, नारायण प्लाजा, इक्जीबिसन रोड, थाना–गांधी मैदान, जिला–पटना **द्वितीय पक्ष** 1. श्री लाल जी राय उर्फ लाल जी प्रसाद, पिता–स्व0 भगेड़ा राय, 2. श्री लाल कुमार राय, पिता स्व0 भगेड़ा राय, 3. श्री श्याम बाबु राय उर्फ लंगडु राय, पिता स्व0 डोमन राय, सभी निवासी ग्राम–मैनपुरा, थाना–पाटलीपुत्रा, जिला–पटना इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी के पश्चात विपक्षीगण को नोटिस निर्गत की गयी। विपक्षी सं0 1 लाल जी राय की तरफ से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया। विपक्षी सं0 2 एवं 3 को सामान्य एवं निबंधित डाक से नोटिस दिये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने की स्थिति में दिनांक 23.06.2017 के दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित की गयी। समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन के बाद भी विपक्षी सं0 2 एवं 3 उपस्थित नहीं हुए। अंततः दिनांक 16.05.2018 को आवेदकगण एवं विपक्षी सं0 1 के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर आदेश पर रखा गया। **आवेदकगण का कहना है कि** (1) प्रश्नगत भूखण्ड अंचल पटना सदर, मौजा–मैनपुरा, थाना न0 2, तौजी न0 5236, खाता न0 434 रकवा 1657 रकवा 50डी0 के खतियानी रैयत घुमन राय थे। (2) घुमन राय, अपने पीछे पत्नी सीता देवी एव दो पुत्र भगेडा राय तथा डोमन राय को छोडकर कर स्वर्ग सिधार गये।	

Mutation 29-15-16 ...

(3) सीता देवी एवं उनके पुत्रों के द्वारा विभिन्न 7(सात) लोगों को प्रश्नगत भूखण्ड की बिक्री कर दी गयी। 2.5डी0 भूमि जो लगभग 3फीट चौड़ा होता है, रास्ता के लिए भू–स्वामी के द्वारा दिया गया था। यह बात सभी बिक्रीनामा में भी अंकित है।

(4) सीता देवी एवं उनके पुत्रों के द्वारा दिनांक 30.03.1971 के बिक्रीनामा से प्रश्नगत भूखण्ड में से $9\frac{1}{2}$डी0 जमीन की बिक्री आवेदकगण को की गयी तथा दखल दिया गया। खरीदगी की तिथि से आवेदकगण प्रश्नगत भूखण्ड के $9\frac{1}{2}$डी0 पर शांतिपूर्ण दखल में है तथा सरकार को लगान अदा कर रहे है।

(5) सीता देवी एवं उनके पुत्रों के द्वारा बिक्री की गयी, जमीन की जमाबंदी विभिन्न लोगों के नाम से निम्नानुसार कायम है।

Sl. No.	Name	Deed No.	dated.	Jamabandi No	Area in Dec.
1	2	3	4	5	6
1	Smt. Sulekha Sinha	2326	30.03.1971	1362	07.00
2	Guzarati Devi	2331	30.03.1971	1613	2.5
3	(i) Savitri Devi (ii) Veena DEvi (iii) Kamal Kishore Pd	2325	30.03.1971	1948	9.5
4	(i) Kulwanti Devi (ii) Chandra Kanta Devi	2329	30.03.1971	1403	9.25
5	Kulwanti Devi, Sold to Sheela Ambastha	3403	27.04.1971	.....	07.00
6	Krishna Kanta	2328	30.03.1971	1219	6.25
7	Awadh Kishore Narayan	2330	30.03.1971	1234	06.00
8	Area given for road by the owner Most. Sita Devi and other		.....	.....	2.5
				Total	50 Dec.

(6) कुलवंती देवी के द्वारा अपनी जमीन दिनांक 26.06.1972 के निबंधित केवाला से अपनी पुत्री शीला अम्बष्टा को बिक्री कर दी गयी। दाखिल खारिज वाद स0 240/1 वर्ष 1985–86 के द्वारा शीला अम्बष्ट के नाम से दाखिल खारिज होकर जमाबदी स0 1477 कायम है।

(7) आवेदकगण की जमाबंदी स0 1948 दाखिल खारिज वाद स0 517/1 वर्ष 1975–76 के आधार पर कायम है।

(8) सीता देवी एवं उनके पुत्रों के द्वारा 2.5डी0 रास्ता की जमीन को छोड़कर शेष पूर्ण 50डी0 भूमि की बिक्री विभिन्न लोगों से कर दी गयी थी, परन्तु दाखिल खारिज वाद सं0 14/1 वर्ष 2001–02 के द्वारा विपक्षी सं0 1 के नाम से $9\frac{1}{2}$डी0के लिए जमाबंदी सं0 10114 कायम कर दी गयी।

(9) विपक्षी सं0 1 के नाम से कायम जमाबंदी सं0 10114 को रद्द करने हेतु इस वाद के आवेदकगण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में वाद सं0 03/2002–03 दायर किया गया। इसी अवधि में इस वाद के उत्तरवादीगण की तरफ से आवेदकगण के नाम से कायम जमाबंदी सं0 1948 को रद्द करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में वाद सं0 08/2002–03 दायर किया गया।

(10) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा वाद सं0 03/2002–03 को अस्वीकृत कर दिया गया तथा वाद सं0 08/2002–03 को स्वीकृत करते हुए आवेदकगण की जमाबंदी सं0 1948 को रद्द करने का आदेश दिया गया।

(11) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के उक्त आदेश के विरूद्ध इस वाद के आवेदकगण के द्वारा समाहर्ता, पटना के न्यायालय में रिवीजन वाद सं0 31/2002–03 लाया गया, जो वाद में अपर समाहर्ता, पटना के न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया गया।

(12) अपर समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा रिवीजन वाद सं0 31/2002–03 में दिनांक 04.09.2012 को निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए, वाद को अंचलाधिकारी, पटना सदर को रिमाण्ड कर स्थल निरीक्षण एवं उभय पक्ष की सुनवाई कर आदेश पारित करने को कहा गया।

(13) अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा अपर समाहर्ता, पटना सदर के आदेश का अनुपालन नहीं करते हुए अपने दिनांक 12.08.2013 के आदेश में मामले को स्थगित कर दिया गया।

(14) अंचलाधिकारी, पटना सदर के विविध वाद सं0 50/2012–13 में दिनांक 12.08.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील सं0 38/2013–14 दायर की गयी।

(15) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा तथ्यों की अनदेखी करते हुए, दिनांक 02.05.2015 के अपने आदेश से अपील खारिज कर दी गयी।

(16) आवेदकगण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज अपील स0 38/2013–14 में दिनांक 02.05.2015 को पारित आदेश को अवैध बताते हुए उसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0 1 लालजी राय उर्फ लालजी प्रसाद का कथन है कि:–

(1) यह वाद चलने लायक नहीं है तथा रद्द करने योग्य है।

(2) विविध वाद सं0 50/2012–13 में अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है, वह एक अंतरिम आदेश है, जिसके विरूद्ध अपील दायर किया जाना विधि सम्मत नहीं है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा उभय पक्ष को सुनकर विस्तृत आदेश पारित किया गया है, जो बिल्कुल सही एवं नियम सम्मत है।

(3) इस वाद के आवेदकगण प्रश्नगत भूखण्ड पर झुठा दावा कर रहे है, जिसके उपर इनका कोई दखल–कब्जा नहीं है। आवेदकगण व्यवहार न्यायालय में विवादित भूखण्ड पर इस वाद के विपक्षीगण का दावा स्वीकार कर चुके है।

(4) विपक्षीगण के पूर्वजों के द्वारा दिनांक 30.03.1971 एवं 27.04.1971 के विभिन्न केवालों से निम्नानुसार विवादित भूखण्ड की बिक्री की गयी है।

क्रं0 सं0	केवाला सं0	दिनांक	क्रेता का नाम	रकवा	जमाबंदी सं0
1	2	3	4	5	6
1	2326	30.07.1971	श्रीमती सुलेखा सिन्हा	7.00डी0	1362
2	2328	30.03.1971	श्री कृष्ण कान्त शरण	6.25डी0	1219
3	2329	30.03.1971	श्रीमती कुलवन्ती देवी एवं चन्द्रकांता देवी	9.00डी0	1403
4	2330	30.03.1971	अवध किशोर नारायण	6.25डी0	1234
5	2331	30.03.1971	गुजराती देवी	2.50 डी0	1613
6	3403	27.04.1971	कुलवन्ती देवी	7.00डी0	
			कुल	38.00डी0	
		रास्ते के लिए छोड़ी गयी भूमि		2.50डी0	
		कुल		40.50	
		शेष भूमि जो विपक्षी सं0 1 के दखल में है।		9.50डी0	
			कुल	50.00डी0	

कुलवन्ती देवी, जिनके द्वारा दिनांक 27.04.1971 के केवाला से 7डी0 भूखण्ड की खरीद की गयी, उनके द्वारा अपने नाम से दाखिल खारिज नहीं कराया गया। उनके द्वारा रकबा 7डी0 भूखण्ड अपनी पुत्री श्रीमती शीला अम्बष्ट को बेच दी गयी तथा शीला अम्बष्ट के नाम से जमाबंदी सं0 1477 कायम की गयी।

(5) विपक्षीगण या उनके पूर्वज के द्वारा दिनांक 30.03.1971 या अन्य किसी भी तिथि को इस वाद के आवेदकगण को विवादित भूखण्ड का कोई

अंश नहीं बेचा गया। $9\frac{1}{2}$डी0 भूखण्ड बराबर विपक्षीगण के दखल–कब्जा में रहा है। उक्त भूखण्ड की दाखिल खारिज विपक्षी सं0 1 के नाम से होकर जमाबंदी सं0 10114 कायम की गयी।

(6) आवेदकगण के द्वारा गलत ढंग से अपने नाम से जमाबंदी सं0 1948 कायम करा ली गयी, जिसकी जानकारी मिलने पर इस वाद के विपक्षीगण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में जमाबंदी सं0 1948 को रद्द करने हेतु जमाबंदी रद्द वाद सं0 08/2002–03 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दिनांक 02.11.2002 के आदेश से जमाबंदी सं0 1948 को निरस्त कर दिया गया।

(7) इस वाद के आवेदकगण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के दिनांक 02.11.2002 के आदेश के विरूद्ध अपर समाहर्ता, पटना के न्यायालय में रिवीजन वाद सं0 31/2002–03 दायर किया गया, जो दिनांक 04.09.2012 को इस आदेश के साथ निष्पादित किया गया कि अंचलाधिकारी, पटना सदर स्थल निरीक्षण एवं जांच कर विधि सम्मत आदेश पारित करेंगें।

(8) रिवीजन वाद सं0 31/2002–03 में दिनांक 04.09.2012 को पारित आदेश के आलोक में अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा विविध वाद सं0 50/2012–13 संधारित कर जांच एवं स्थल निरीक्षण कर दिनांक 12.08.2013 को विधि सम्मत आदेश पारित किया गया।

(9) विविध वाद सं0 50/2012–13 में दिनांक 12.08.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध इस वाद के आवेदकगण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 38/2013–14 दायर की गयी, जो दिनांक 02.05.2015 के आदेश से निरस्त कर दी गयी। उक्त 02.05.2015 के आदेश के विरूद्ध यह रिवीजन वाद दायर किया गया है।

(10) प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–145 के अन्तर्गत अनुमंडल दण्डाधिकारी, पटना सदर के न्यायालय में वाद सं0 2340(एम)1988 चला था। दिनांक 09.12.2000 को उक्त वाद में इस वाद के विपक्षीगण के पक्ष में फैसला हुआ। अनुमंडल दण्डाधिकारी के फैसले के विरूद्ध इस वाद के आवेदकगण के द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना के न्यायालय में क्रिमिनल रिवीजन सं0 125/2001 दायर की गयी, जो दिनांक 18.04.2007 के आदेश से निरस्त कर दी गयी तथा विवादित भूखण्ड पर इस वाद के विपक्षी सं0 1 के दखल कब्जा में सम्पुष्ट कर दिया गया।

(11) इस वाद के आवेदकगण के द्वारा विवादित भूखण्ड को लेकर व्यवहार न्यायालय, पटना में स्वत्व वाद सं0 56/2001 भी दायर किया गया है, जो सब जज पटना के न्यायालय में लम्बित है।

(12) स्वत्व वाद सं0 56/2001 में एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा

विवादित भूखण्ड को लेकर प्रतिवेदन दाखिल किया गया है, जिसमें विवादित भूखण्ड पर इस वाद के विपक्षीगण का ही दखल–कब्जा बताया गया है।

(13) दाखिल खारिज अपील सं0 38/2013–14 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दिनांक 02.05.2015 को पारित आदेश को उचित एवं विधि सम्मत बताते हुए पुनरीक्षण आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0 1 के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(1) दिनांक 27.04.1971 का केवाला

(2) भगेड़ा राय का मृत्यु प्रमाण–पत्र

(3) वाद सं0 2340(एम)1988 को दिनांक 09.12.2000 का पारित आदेश

(4) दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{14}{1}$ वर्ष 2001–02 जो $9\frac{1}{2}$ डी0 भूखण्ड के लिए लाल जी राय, पिता भगेड़ा राय के पक्ष में किया गया।

(5) स्वत्व वाद सं0 56/2001 में दाखिल अधिवक्ता आयुक्त का प्रतिवेदन

(6) क्रिमिनल रिवीजन नं0 125/2001 में 18.04.2007 का पारित आदेश

(7) विविध वाद सं0 08/2002–03 एवं 03/2002–03 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दिनांक 02.11.2002 का आदेश

(8) रिवीजन वाद सं0 31/2002–03 में दिनांक 04.09.2012 का पारित आदेश

(9) अपील वाद सं0 11/2012–13 में दिनांक 05.11.2012 का आदेश

(10) जमाबंदी रद्द वाद सं0 17/2012–13 में दिनांक 14.08.2013 को पारित आदेश

(11) विविध वाद सं0 50/2012–13 में अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा दिनांक 12.08.2013 को पारित आदेश

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उपलब्ध कागजात के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते है।

(1) इस वाद के आवेदकगण के द्वारा एक ही मामले को विभिन्न न्यायालय में भिन्न–भिन्न धाराओं के तहत लाया जा रहा है। प्रश्नगत भूखण्ड के मामले को लेकर रिवीजन वाद सं0 31/2002–03 के अन्तर्गत अपर समाहर्ता, पटना के द्वारा दिनांक 04.09.2012 के आदेश से अंचलाधिकारी, पटना सदर को रिमाण्ड पर दिया गया था, तो इस वाद के आवेदकगण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील सं0 11/2012–13 लाया गया, जिसे दिनांक 05.11.2012 के आदेश से भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा

खारिज कर दिया गया।

पुनः आवेदकगण के द्वारा इसी मामले के तहत जमाबंदी सं0 10114 को रद्द करने हेतु, जमाबंदी रद्द वाद सं0 17/2012–13 दायर किया गया, जिसे अपर समाहर्ता, पटना के द्वारा विस्तृत समीक्षा कर दिनांक 14.08.2013 के अपने आदेश से अस्वीकृत कर दिया गया।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–145 के तहत वाद सं0 2340(एम)1988 में विवादित भूखण्ड पर इस वाद के विपक्षीगण के दखल कब्जा की घोषणा की गयी है। उक्त आदेश को क्रिमिनल रिवीजन 125/01 में सम्पुष्ट किया गया है। स्वत्व वाद सं0 56/2001 में अधिवक्ता आयुक्त द्वारा दिये गये प्रतिवेदन से भी विवादित भूखण्ड पर इस वाद के विपक्षीगण के दखल–कब्जा की पुष्टि होती है।

(3) अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा विविध वाद सं0 50/2012–13 अन्तर्गत स्थल निरीक्षण में विवादित भूखण्ड पर इस वाद के विपक्षीगण का दखल कब्जा प्रतिवेदित किया गया है।

(4) प्रश्नगत वाद में इस न्यायालय को यह देखना है कि निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है अथवा नहीं। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा सभी तथ्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अपील वाद सं0 38/2013–14 में दिनांक 02.05.2015 को आदेश पारित किया गया।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विवादित भूखण्ड को लेकर सक्षम व्यवहार न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 56/2001 दायर है। विवादित भूखण्ड पर स्वत्वाधिकार एवं दखल कब्जा की घोषणा सक्षम व्यवहार न्यायालय से ही की जा सकती है। इस परिपेक्ष्य में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 38/2013–14 में दिनांक 02.05.2015 को भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधि सम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

19/5/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

19/5/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना